"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 जून 2017—आषाढ़ 2, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 जून 2017

क्रमांक ई 1-01-2017/1-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मुकेश कुमार, भा.प्र.से. (2005), संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, विमानन विभाग (स्वतंत्र प्रभार) का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

नया रायपुर, दिनांक 14 जून 2017

क्रमांक ई 1-01-2017/1-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, भा.प्र.से. (2005), संचालक, जनसंपर्क तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, जनसंपर्क विभाग (स्वतंत्र प्रभार) का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 29 मई 2017

क्रमांक ई 1-01-2017/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ईमिल लकड़ा, भा.प्र.से. (2004), विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग पदस्थ करते हुए विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. श्री चंद्रकांत उईके, भा.प्र.से. (2008), संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर के पद पर पदस्थ करते हुए संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्री चंद्रकांत उईके, भा.प्र.से. द्वारा संयुक्त संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से संयुक्त संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्र. मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 30 मई 2017

क्रमांक एफ-10-20/2011/1/5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. अनुसूची-एक में, सरल क्रमांक 18 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"19.	वाहन चालक (कार्यभारित एवं आकस्मिकता स्थापना)	04	तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय)	5200-20200	1900"

2. अनुसूची-दो में, सरल क्रमांक 18 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"19.	वाहन चालक (कार्यभारित एवं आकस्मिकता स्थापना)	04	100%	—	—	—"

3. अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक 7 के कॉलम (3) में, शब्द "वाहन चालक" के स्थान पर, शब्द "वाहन चालक (कार्यभारित एवं आकस्मिकता स्थापना)" प्रतिस्थापित किया जाये.

No. F-10-20/2011/1/5.—In exercise of the power conferred by the provision to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Academy of Administration (Ministrerial and Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 2012 namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In Schedule-I, after serial number 18, the following shall be added, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"19.	Driver (Work-charged and contingency establishment)	04	Class-III (Non Ministerial)	5200-20200	1900"

2. In Schedule-II, after serial number 18, the following shall be added, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"19.	Driver (Work-charged and contingency establishment)	04	100%	—	—	—"

3. In Schedule-III, in column (3) of serial number 7, for the words "Driver", the words "Driver (Work-charged and contingency establishment)" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2017

क्रमांक एफ 4-1/2007/1-7.—श्री प्रवीण कुमार प्रधान, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रामानुजगंज की सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 4461/1534/XXI-B/2017, दिनांक 11-05-2017 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ लोक आयोग में प्रतिनियुक्ति पर विधिक सलाहकार के पद पर पदस्थ करने हेतु सौंपी गई है. अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा श्री प्रवीण कुमार प्रधान, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रामानुजगंज को छत्तीसगढ़ लोक आयोग में विधिक सलाहकार के पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 मई 2017

क्रमांक/4211/एफ-8/89/PMFBY/2016/14-2.—भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015/03/2017 Credit II नई दिल्ली, दिनांक 23-02-2016 द्वारा दिये गये प्रशासनिक अनुमोदन एवं योजना क्रियान्वयन के जारी दिशा-निर्देशों के आलोक में सक्षम अनुमोदन उपरांत राज्य शासन एतद्द्वारा खरीफ मौसम 2017 में प्रदेश के समस्त 27 जिलों में "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" लागू करती है. योजनान्तर्गत विवरण निम्नानुसार है :—

1. **अधिसूचित फसले एवं बीमा इकाई :—**

फसल		बीमा इकाई
मुख्य फसल	धान सिंचित, धान असिंचित	ग्राम पंचायत
अन्य फसल	मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर (अरहर) मूंग, उड़द	ग्राम पंचायत

2. **अधिसूचित क्षेत्र :—** प्रदेश के सभी 27 जिले में योजना क्रियान्वित की जायेगी. अधिसूचित जिला, तहसील, राजस्व निरीक्षक मंडल, ग्राम पंचायत एवं इन क्षेत्रों में सम्मिलित अधिसूचित फसल का विवरण परिशिष्ट-1 में है.

3. **शामिल किये जाने वाले कृषक :—** इस योजना में ऋणी कृषक (भू-धारक व बटाईदार) एवं अऋणी कृषक (भू-धारक एवं बटाईदार) भाग ले सकते है.

   (क) **अनिवार्य आधार पर :—**ऐसे सभी कृषक जो अधिसूचित फसल उगा रहे हो और वित्तीय संस्थानों से जिनकी मौसमी कृषि ऋण की सीमा खरीफ 2017 हेतु 01-04-2017 से 31-07-2017 तक स्वीकृत/नवीनीकृत की गई हो. एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थानों से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में कृषक को एक ही वित्तीय संस्थान से बीमा करवाना होगा.

   (ख) **स्वैच्छिक आधार पर :—**अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान जो इस योजना में शामिल होने के इच्छुक हो, वे अनिवार्य दस्तावेज को प्रस्तुत कर योजना में सम्मिलित हो सकते है.

4. **योजना क्रियान्वयन हेतु चयनित बीमा कम्पनी :—** खरीफ 2016 में निविदा के आधार पर चयनित बीमा कंपनियों द्वारा निविदा में उल्लेखित दरों पर ही खरीफ वर्ष 2017 में अधिसूचित क्षेत्रों में फसल बीमा कार्य का संपादन किया जाएगा.

   क्लस्टरवार बीमा कंपनियों को आवंटित जिलों की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	कलस्टर क्र.	जिला	क्रियान्यवन बीमा कंपनी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1	नारायणपुर, कांकेर, कबीरधाम, रायगढ़, दुर्ग	ईफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
2.	2	सुकमा, मुंगेली, बालोद, बेमेतरा, सूरजपुर, कोरबा	रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
3.	3	कोंडागांव, बिलासपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बलरामपुर, कोरिया.	ईफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
4.	4	बीजापुर, महासमुंद, धमतरी, जशपुर, रायपुर, बस्तर.	ईफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
5.	5	जांजगीर, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, सरगुजा	ईफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.

5. **जोखिमों की आच्छादन एवं अपवर्जन :—**

(i) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिये निर्गत मार्गदर्शिका में वर्णित सभी प्रकार के जोखिमों, जो निम्नानुसार है, हेतु बीमा आवरण उपलब्ध होगा :—

(क) **बाधित बुआई/रोपण जोखिम :**—बीमाकृत क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण बुआई/रोपण क्रिया न होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करेगा.

(ख) **खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक) :**— गैर बाधित जोखिमों यथा सूखा, शुष्क अवधि, बाढ़, जलभराव, कीट एवं व्याधि, भू-स्खलन, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटनाओं और आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात,आंधी समुद्री तूफान, भंवर और बवंडर के कारण फसल को होने वाले नुकसान की सुरक्षा के लिए वृहत जोखिम बीमा दिया जायेगा.

(ग) **फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान :**—यह बीमा आच्छादन ऐसी अधिसूचित फसलों के कटाई उपरांत अधिकतम दो सप्ताह (14 दिन) के लिए चक्रवात और चक्रवातीय वर्षा एवं बेमौसमी वर्षा के मामले में दिया जायेगा, जिन्हे फसल कटाई के बाद खेत में सुखने के लिए छोड़ा गया है.

(घ) **स्थानीयकृत आपदाएं :**—अधिसूचित क्षेत्र में पृथक कृषक भूमि को प्रभावित करने वाली ओलावृष्टि, भू-स्खलन और जलभराव के अभिंचिन्हित स्थानीयकृत जोखिमों से होने वाले क्षति से सुरक्षा प्रदान करेगा.

(ii) **सामान्य अपवर्जन :**—युद्ध, नाभिकीय जोखिमों से होने वाली हानियों, दुर्भावनाजनित क्षतियों और अन्य निवारणीय जोखिमों को इसमें शामिल नहीं किया गया है.

6. **बीमित राशि :—** ऋणी एवं अऋणी कृषकों के लिये बीमित राशि प्रत्येक जिले में अधिसूचित फसलों हेतु निर्धारित प्रति हेक्टेयर ऋण मान (Scale of Finance) के बराबर (संलग्न परिशिष्ट-2) मान्य होगी.

ऋण प्रदाय करने वाली वित्तीय संस्था ऋणी कृषक को "बीमा प्रीमियम राशि" अतिरिक्त ऋण के रूप में प्रदान करेगी.

7. **प्रीमियम की गणना एवं अनुदान :—** कृषकों द्वारा अधिकतम देय प्रीमियम बीमित राशि का 2 प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम, जो भी कम हो. शेष प्रीमियम राशि 50-50 प्रतिशत के अनुपात में क्रमशः केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में देय होगा.

क्लस्टरवार/जिलेवार/फसलवार प्रीमियम विवरण परिशिष्ट-2 पर है. ऐसे जिले जिनमें अधिसूचित फसलों पर कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि 2 प्रतिशत से कम है, का जिलेवार/फसलवार विवरण परिशिष्ट-3 पर है.

8. **क्षति स्तर एवं थ्रेसहोल्ड उपज :—** योजनांतर्गत अधिसूचित फसलों का क्षति स्तर निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :—

क्र.	फसल	क्षति स्तर
1.	धान सिंचित	90%
2.	धान असिंचित सोयाबीन	80%
3.	मक्का, मूंगफल्ली, तुअर, मूंग एवं उड़द	70%

जिलेवार/फसलवार क्षति स्तर पर थ्रेस होल्ड उपज की जानकारी परिशिष्ट-4 पर है. थ्रेसहोल्ड उपज का निर्धारण ग्रामपंचायत-वार निर्धारित किया गया है. यदि किसी ग्राम पंचायत में थ्रेसहोल्ड उपज की जानकारी दर्ज ना हो, तो उक्त ग्राम पंचायत के निकटतम ग्राम पंचायत के उपज के आंकड़े उपयोग किये जावेंगे एवं निकटतम ग्राम पंचायत के उपज आंकड़ा उपलब्ध न हो तो उपरी इकाई के उपज आंकड़ा मान्य होगा.

9. **विभिन्न गतिविधियों हेतु समय-सीमा का निर्धारण :—**

क्र.	गतिविधि	समय सीमा
1.	फसल बीमा पोर्टल पर सभी अपेक्षित सूचना/डाटा की प्रविष्टि क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा समन्वय से पूर्ण किया जायेगा.	अधिसूचना जारी होने से एक सप्ताह के भीतर
2.	ऋणी कृषकों के लिए अनिवार्य आधार पर बीमा आच्छादन हेतु ऋण की अवधि (संस्वीकृत/नवीकृत ऋण).	1 अप्रैल से 31 जुलाई
3.	कृषकों (ऋणी एवं अऋणी) से बीमा प्रस्ताव प्राप्त करने/खाते से प्रीमियम प्राप्ति की अंतिम तिथि.	31 जुलाई
4.	पैक्स हेतु जिला सहकारी बैंक, बैंक शाखाओं (सीबी/आरआरबी), ऋणी एवं अऋणी कृषकों की समेकित घोषणाओं/प्रस्तावों/प्रीमियम राशि (अनिवार्यता इलेक्ट्रानिक माध्यम से) राशि बीमा कंपनियों को प्राप्त होने के अंतिम तिथि.	बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ऋणी कृषकों के लिए 15 दिन के भीतर और अऋणी कृषकों के लिए 7 दिन के भीतर
5.	नामित बीमा एजेंटो/मध्यस्थों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर बीमित किए गए किसानों के घोषणा पत्र बीमा कंपनियों को प्राप्त होने के अंतिम तिथि.	घोषणा/प्रीमियम प्राप्ति के 7 दिन के भीतर
6.	संबंधित डीसीसीबी/नोडल बैंकों (सहकारी संस्थाओं के लिए) द्वारा ऋणी एवं अऋणी कृषकों के प्रस्तावों को बीमा कंपनी को प्रेषित करने की अंतिम तिथि.	संबंधित नोडल बैंकों से प्रस्ताव प्राप्त होने से 7 दिवस के भीतर.
7.	वाणिज्यिक बैंकों/आरआरबी/पैक्स/माध्यस्थों द्वारा वैयक्तिक बीमाकृत कृषकों के ब्यौरों को फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड करना.	कृषकों से प्रीमियम प्राप्ति की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर (15 अगस्त तक)
8.	अग्रिम राज्यांश राशि के भुगतान हेतु चयनित बीमा कंपनियों द्वारा शासन को बीमा आवरण के आंकड़े प्रदाय करने अंतिम तिथि.	फसल बीमा करने की अंतिम तिथि से 1 माह के भीतर (31 अगस्त तक).
9.	बीमा कंपनी द्वारा बीमा आवरण के अंतिम आंकड़े (जिलावार वर्गवार एवं फसलवार) प्रदाय करने की अंतिम तिथि.	फसल कटाई प्रारंभ होने के पूर्व अर्थात 1 अक्टूबर तक अंतिम आंकड़े शासन को उपलब्ध कराया जावेगा.
10.	भू-अभिलेख द्वारा फसल कटाई प्रयोग हेतु रेन्डर नंबर के आधार पर चयनित कृषक की जानकारी बीमा कंपनी को उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि.	सितंबर के प्रथम सप्ताह के भीतर
11.	फसल कटाई के बाद बीमा कंपनी को उत्पादन आंकड़े प्रदाय करने की अंतिम तिथि.	संबंधित फसल की निर्धारित अंतिम फसल कटाई तिथि से एक माह के भीतर.
12.	आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा अधिसूचित फसलों के बीमा, इकाईवार क्षेत्राच्छादन की जानकारी बीमा कंपनी को उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि.	बुआई अवधि से लेकर 2 माह के भीतर
13.	उपज आंकड़ों पर आधारित अंतिम बीमा दावा का संसाधन, अनुमोदन एवं भुगतान करने की तिथि.	उपज संबंधी आंकड़े प्राप्त करने की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर.

टीप :— उपरोक्त समय-सीमा/प्रक्रियाओं/कार्यवाहियों का पालन करने में वित्तीय संस्थाओं (पैक्स हेतु जिला सहकारी बैंक एवं बैंक शाखाओं) द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि होने अथवा अंतिम तिथि के उपरांत बीमा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर सम्पूर्ण जवाब-दारी बैंक की होगी एवं प्रभावित कृषक/कृषकों को योजनांतर्गत निर्धारित क्षतिपूर्ति के भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित वित्तीय संस्थाओं (पैक्स हेतु जिला सहकारी बैंक एवं बैंक शाखाओं) की होगी.

10. वित्तीय संस्थाएं समस्त ऋणी तथा अऋणी आच्छादित कृषकों की सूची जिसमें-कृषक का नाम, पिता/पति का नाम, ग्राम, ग्राम पंचायत, तहसील, जिला, बैंक खाता संख्या, कृषक श्रेणी-लघु/सीमांत/अन्य, महिला/पुरुष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य आच्छादित रकबा, बीमित राशि एवं कृषक द्वारा देय प्रीमियम का विवरण निश्चित प्रपत्र में घोषणा पत्र के साथ बीमा कम्पनी को हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में उपलब्ध करायेगी तथा कृषकवार विवरण फसल बीमा पोर्टल पर बीमा लेने की अंतिम तिथि से 15 दिनों के अंदर अपलोड करेगी. साथ ही राज्य सरकार, बीमा कार्यान्वयक अभिकरण एवं वित्तीय संस्थाएं सभी जानकारियों एवं आंकड़ों को www.agri-insurance.gov.in में निर्धारित समय-सीमा पर इन्द्राज करेगी.

11. **बीमा प्रस्ताव एवं घोषणा पत्र :—** सभी संबंधित सहकारी बैंकों/वाणिज्यिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा बीमा प्रस्ताव एवं घोषणा पत्र की दो प्रति तैयार किया जाएगा, जिसकी एक प्रति बीमा कंपनी को तथा एक प्रति संबंधित कृषक को अनिवार्य रूप से प्रदान करेंगे.

12. **दावा गणना :—** अंतिम भुगतान हेतु दावा गणना आयुक्त, भू-अभिलेख, छ.ग. द्वारा अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसलों के लिए निर्धारित न्यूनतम अनिवार्य संख्या में किये गये फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त औसत उपज के आकड़ों से की जायेगी. शासन या अन्य संस्थाओं द्वारा अनावारी, सूखा, बाढ़ अकाल घोषित होने पर दावा देय नहीं हैं. बीमा इकाई में मुख्य अधिसूचित फसल हेतु 04 एवं अन्य फसलों हेतु 08 फसल कटाई प्रयोग किये जाने होंगे. राज्य शासन को यह अधिकार रहेगा कि विभिन्न कारणों से निर्धारित समय-सीमा से अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित मुख्य अथवा अन्य फसलों के निर्धारित फसल कटाई प्रयोग संपादित कराये जाना संभव नहीं हो सके, तो अधिसूचित इकाई से उच्चतर इकाई (पटवारी हल्का/राजस्व निरीक्षक मंडल) में योजना प्रावधान अनुसार निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोग संपादित कराये जा सकेंगे अथवा उच्चतर इकाई के औसत उपज आंकड़े दावा गणना हेतु मान्य होंगे.

13. **क्षति का मूल्यांकन/निर्धारण/भुगतान की प्रक्रिया :—** योजना के प्रावधानों के अनुसार फसल की क्षति का मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :—

(क) **बुआई नहीं हो पाने/निष्फल होने/रोपण बाधित होने की स्थिति में :—** यह आवरण केवल मुख्य फसल धान सिंचित एवं धान असिंचित के लिए ही लागू होगा. फसल बोआई अवधि के दौरान, अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि एवं अन्य विपरित मौसम के कारण अधिसूचित क्षेत्र (ग्राम पंचायत) में अधिसूचित मुख्य फसल धान सिंचित एवं धान असिंचित की 75 प्रतिशत से अधिक बुवाई/रोपा नहीं हो पाने की स्थिति में बीमा राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति के रूप में कृषकों को दावा भुगतान किया जा सकेगा. इस घटक के अंतर्गत बोता धान में बोनी की अंतिम समय-सीमा 10 अगस्त तथा धान की रोपाई हेतु अंतिम समय-सीमा 15 अगस्त होगी.

उपरोक्त समयावधि में यदि किसी ग्राम पंचायत में अधिसूचित प्रमुख फसल के बोवाई किये जाने वाले क्षेत्रफल में से 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल में बोवाई नहीं होती है ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए मौसम के आंकड़े तथा प्रदेश में फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु नोडल एजेंसी राजस्व विभाग (भू-अभिलेख) के आंकड़ों को आधार माना जायेगा. राज्य शासन द्वारा ऐसे प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना जारी की जायेगी जिसके आधार पर अधिसूचित क्षेत्र के बीमित कृषकों को अधिकतम 25 प्रतिशत तक दावा भुगतान किया जावेगा. इस खण्ड के अधीन क्षतिपूर्ति देय होने के पश्चात संबंधित इकाई क्षेत्र में किसान उपज आधारित दावा के लिए योग्य नहीं होंगे, और न ही इन क्षेत्रों में प्रभावित अधिसूचित फसल के लिए कोई नया पंजीयन किया जायेगा.

(ख) **मौसमी प्रतिकुलताओं के कारण अधिसूचित फसलों की बुआई के कटाई की समयावधि में नुकसान होने की स्थिति में :—**फसल की अवधि में प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, शुष्क अवधि, बाढ़, जलभराव, कीट एवं व्याधि, भू-स्खलन, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटनाओं और आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, समुद्री तूफान, भंवर और बवंडर के कारण प्रभावित फसल की अनुमानित उपज, थ्रेस होल्ड उपज से 50 प्रतिशत से कम आना संभावित हो तो संभावित क्षतिपूर्ति का 25 प्रतिशत तक दावा का भुगतान खरीफ 2017 मौसम के दौरान ही किया जा सकता है. यह क्षतिपूर्ति भुगतान की राशि अंतिम उपज आधारित क्षतिपूर्ति राशि के साथ समायोजित की जायेगी. यदि उक्त स्थिति परिशिष्ट-5 में फसलवार उल्लेखित सामान्य फसल कटाई प्रयोग के 15 दिनों के पूर्व होती है तो उपरोक्त शर्त लागू नहीं होगी.

इस तरह की क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए मौसम के आंकड़े, सैटेलाईट इमेज एवं जिला कृषि/राजस्व पदाधिकारी द्वारा प्रेषित फसल अवस्था आंकड़े को आधार माना जाएगा. इस संबंध में दैनिक समाचार पत्रों के विवरणों पर भी विचार किया जावेगा. राज्य शासन द्वारा प्रतिकूल मौसमीय आपदा घटित होने के 07 दिवस के भीतर प्रभावित इकाईयों की सूची एवं विवरण तथा इन्हें इस घटक के अंतर्गत पात्रता होने संबंधी आदेश पारित किया जायेगा तथा संयुक्त समिति द्वारा प्रतिकूल मौसमीय आपदा घटित होने के 15 दिवस के भीतर प्रतिवेदन दिया जायेगा. जिसके आधार पर क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति देय होगी.

(ग) **स्थानीय आपदाओं की स्थिति में :**—स्थानीय जोखिमों यथा-ओलावृष्टि, भू-स्खलन एवं जलप्लावन से अधिसूचित फसल में नुकसान होने की स्थिति में व्यक्तिगत बीमित कृषक को क्षतिपूर्ति प्रदाय किये जाने का प्रावधान है. यदि किसी प्रभावित इकाई में 25 प्रतिशत से ज्यादा इकाई क्षेत्र में हानी होती है तो संयुक्त समिति द्वारा सैम्पल जांच कर उस इकाई में सभी बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति भुगतान की जाएगी. यदि किसी प्रभावित इकाई में 25 प्रतिशत से कम इकाई क्षेत्र में हानि होती है तो उस सभी प्रभावित बीमित किसानों के नुकसान की जांच की जाएगी जो कृषक इसकी सूचना क्रियान्वयन बीमा कंपनी को लिखित में या टोल-फ्री नंबर पर अथवा स्थानीय राजस्व/कृषि अधिकारियों, संबंधित बैंक अथवा जिला कृषि पदाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी/तहसीलदार को लिखित रूप में निर्धारित समय-सीमा 48 घंटे के भीतर बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करेंगे.

हानि संबंधी सूचना मिलने पर क्रियान्वयन बीमा कंपनी फसल की हानि का अनुमान लगाने के लिए क्षेत्र में हानि निर्धारक (Loss Assessor) को भेजेगी तथा मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों के अनुसार Pay out निर्धारित किया जाएगा. विकासखंड/जिला स्तरीय कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारी फसल की हानि की मात्रा का अनुमान लगाने में क्रियान्वयन बीमा कंपनी की उपयुक्त सहायता करेंगे. इस घटक के अंतर्गत अधिकतम देय सहायता प्रभावित क्षेत्र में आपदा की स्थिति तक फसल के उत्पादन लागत में व्यय के अनुपात में होगी. यदि पर अधिसूचित क्षेत्र में फसल कटाई प्रयोगों के आधार अंतिम दावा भुगतान दिये गये स्थानीय क्षतिपूर्ति से अधिक निर्धारित होता है, तो दोनों में से जो भी बीमा दावा अधिक होगा, बीमित कृषक को देय होगा.

(घ) **फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में :—** फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई अधिसूचित फसल को प्राकृतिक आपदा यथा चक्रवात, चक्रवाती वर्षा एवं बेमौसमी वर्षा से 25 प्रतिशत से अधिक अधिसूचित क्षेत्र में फसलों को क्षति होती है तो ऐसी अवस्था में सैम्पल जांच कर उक्त अधिसूचित क्षेत्र के सभी पात्र बीमित कृषकों को क्षति का भुगतान किया जावेगा. यदि 25 प्रतिशत से कम अधिसूचित क्षेत्र में हानि होती है तो उन सभी प्रभावित बीमित कृषकों के नुकसान की जांच कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति के पात्र घोषित की जायेगी, जो कृषक इसकी सूचना क्रियान्वयन बीमा कंपनी को सीधे टोल फ्री नंबर पर या लिखित रूप से अथवा स्थानीय राजस्व/कृषि अधिकारियों, संबंधित बैंक अथवा जिला कृषि पदाधिकारी/अनुविभागीय दंडाधिकारी/तहसीलदार को लिखित रूप से निर्धारित समय-सीमा 48 घंटे के भीतर बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करेंगे. इस व्यवस्था के अंतर्गत क्राप कैलेण्डर (संलग्न परिशिष्ट-5) में अंकित फसल कटाई की निर्धारित अंतिम तिथि से यदि कटी हुई अधिसूचित फसल, अधिकतम 14 दिनों तक खेत में सूखने के लिए फैलाकर रखी जाती है तो इसी अवधि तक के लिए ही उपरोक्त वर्णित कारणों से होने वाली क्षति का आंकलन किया जाएगा.

फसल क्षति संबंधी सूचना मिलने पर क्रियान्वयन बीमा कंपनी फसल की हानि का अनुमान लगाने के लिए क्षेत्र में हानि निर्धारक (Loss Assessor) को भेजेगी तथा मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों के अनुसार Pay out निर्धारित किया जाएगा. विकासखंड/जिला स्तरीय कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कृषक फसल की हानि की मात्रा का अनुमान लगाने में क्रियान्वयन बीमा कंपनी की उपयुक्त सहायता करेंगे. सांकेतिक सूचनाओं, स्थानीय मिडिया रिपोर्टों, कृषि/राजस्व विभाग के रिपोर्टों को क्षति का आंकलन का आधार बनाया जाएगा.

(ङ) **फसल उत्पादन के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति में :—** राज्य शासन फसल उत्पादन के आंकलन के लिए अधिसूचित बीमा इकाई ग्राम पंचायत में प्रमुख फसल धान सिंचित एवं असिंचित के लिए 04 प्रयोग तथा अन्य फसल में 08 फसल कटाई प्रयोग आयोजित करेगी तथा भारत सरकार के निर्देशानुसार शत् प्रतिशत फसल कटाई प्रयोग मोबाईल एप "CCE Agri App" के माध्यम से संपादित किये जायेंगे. इस तरह फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर प्राप्त वास्तविक उपज के आधार पर क्षति की गणना की जायेगी.

$$\text{देय क्षतिपूर्ति} = \frac{\text{थ्रेसहोल्ड उपज} - \text{वास्तविक उपज}}{\text{थ्रेसहोल्ड उपज}} \times \text{बीमित राशि}$$

छ.ग. शासन द्वारा या अन्य संस्थाओं द्वारा अन्य प्रयोजन हेतु किये जा रहे फसल कटाई प्रयोग के परिणाम (अनावारी, सूखाग्रस्त घोषित करने आदि के उद्देश्य से पृथक से क्रियान्वित किये जाने वाले फसल कटाई प्रयोग) इस योजनांतर्गत दावा भुगतान की गणना में मान्य नहीं होंगे. यथासंभव इसी योजना के अंतर्गत संपादित कराये जाने वाले फसल कटाई प्रयोग की श्रृंखला का ही उपयोग फसल बीमा की गणना के साथ ही फसल उत्पादकता के आंकड़े प्राप्त करने में भी किया जायेगा.

14. **योजना के अनुसार क्षतिपूर्ति आंकलन हेतु संयुक्त समिति :—** योजनानुसार फसल मध्यावधि में नुकसान होने की स्थिति में क्षति का निर्धारण, स्थानीय आपदाओं की स्थिति में व्यक्तिगत क्षति का निर्धारण एवं फसल कटाई के उपरांत खेत में सूखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में व्यक्तिगत नुकसान होने की स्थिति में क्षति आंकलन हेतु राज्य शासन द्वारा खरीफ 2016 में योजनांतर्गत गठित जिला एवं तहसील स्तरीय संयुक्त समिति खरीफ 2017 के लिए भी अधिकृत होगी.

15. **मौसम केन्द्रों की जानकारी :—** राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदेश के तहसील/विकासखंडों में वर्षामापी यंत्र स्थापित है जिसके दैनिक वर्षा के आंकड़े नियमित प्राप्त होते है. योजनान्तर्गत क्षतिपूर्ति निर्धारण हेतु इन आंकड़ों को मान्य किया जाना है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के वर्षामापी यंत्र बंद या खराब होने की स्थिति में जिले में केन्द्रीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा स्थापित वर्षामापी यंत्र के आंकड़े स्वीकार किये जायेंगे.

16. **बीमित फसल में परिवर्तन/बदलाव का विकल्प :—** कृषक द्वारा अधिसूचित फसल के लिए ऐच्छिक आधार पर लिये गये बीमा आवरण में फसल के नाम का बदलाव ईच्छा होने पर ऐसा किया जा सकता है किन्तु ऐसा ऋणी एवं अऋणी कृषकों से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि (31-07-2017) के 30 दिवस पूर्व अर्थात 01-07-2017 तक ही संबंधित वित्तीय संस्था/अधिकृत बीमाकर्त्ता (जैसी भी स्थिति हो) के माध्यम से बीमा कंपनी को लिखित रूप में तथा बोनी प्रमाण पत्र (जो बीमा इकाई स्तर पर अधिकृत राजस्व कर्मचारी (राजस्व पटवारी) अथवा इससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा अन्य फसल की बोनी करने संबंधी जारी प्रमाण पत्र हो) के साथ उपलब्ध कराने पर ही मान्य होगा. यह विकल्प केवल उन्हीं कृषकों को होगा जिन्होंने फसल बीमा हेतु प्रीमियम राशि जमा कर दी है.

ऋणी कृषक भी फसल परिवर्तन कर सकते है तथा उन्हें इस संबंध में संबंधित बैंक को बीमा आवेदन करने की अंतिम तिथि (31-07-2017) के 30 दिवस पूर्व अर्थात 01-07-2017 तक लिखित में सूचित करना होगा ताकि उनके बीमा प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन किया जा सके. यदि गैर अधिसूचित फसलों को अधिसूचित फसल में परिवर्तित करना चाहते है तो ऐच्छिक आधार पर बीमा कराने वाले कृषकों के अनुरूप बीमा इकाई से संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा दूसरी फसल बोनी करने संबंधी प्रमाण पत्र बैंकों को आवश्यक संशोधन हेतु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जिसके लिए समय-सीमा उपरोक्तानुसार ही होगी.

17. **बीमा कंपनी तथा वित्तीय संस्था द्वारा देय दावा भुगतान कृषकों के खाते में समायोजित करने की समय-सीमा :—**

(क) **बुआई नहीं हो पाने/विफल होने की स्थिति में :—** केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रीमियम अनुदान प्राप्त होने की स्थिति में राज्य शासन द्वारा प्रभावित क्षेत्र घोषित किये जाने संबंधी अधिसूचना/आदेश पारित होने की तिथि के 30 दिवस के भीतर कृषकों के बैंक खाते में समायोजित की जावेगी.

(ख) **फसल मध्यावधि में नुकसान होने की स्थिति में :—**केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रीमियम अनुदान प्राप्त होने की स्थिति में राज्य शासन द्वारा प्रभावित क्षेत्र घोषित किये जाने संबंधी पारित आदेश के 01 माह के भीतर कृषकों के खाते में समायोजित की जावेगी.

(ग) **स्थानीय आपदाओं के मामले में :—** संयुक्त समिति जिसमें बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित हानि निर्धारक (Loss Assessor) भी सम्मिलित हो द्वारा क्षति आंकलन संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिवस के भीतर कृषकों के खाते में समायोजित की जाएगी (केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रीमियम अंश प्राप्त होने की स्थिति में).

(घ) **फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में :—** संयुक्त समिति जिसमें बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित हानि निर्धारक (Loss Assessor) भी सम्मिलित हो द्वारा क्षति आंकलन संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिवस के भीतर कृषकों के खाते में समायोजित की जावेगी (केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रीमियम अंश प्राप्त होने की स्थिति में).

(ङ) **फसल उत्पादन के आधार पर व्यापक क्षतिपूर्ति :—** भारत सरकार तथा राज्य शासन से प्रीमियम अनुदान प्राप्त होने के पश्चात् उपज आंकड़े प्राप्त होने की तिथि से 3 सप्ताह के भीतर बीमा कंपनी द्वारा देय दावा भुगतान की राशि वित्तीय संस्था को प्रदान की जावेगी. वित्तीय संस्था द्वारा एक सप्ताह के अंदर धनराशि पात्र कृषकों के खाते में समायोजित कर उपयोगिता प्रमाण पत्र 15 दिन के अंदर संबंधित बीमा कंपनी को प्रस्तुत करेगी.

18. **क्रियान्वयन बीमा कंपनी द्वारा हानि निर्धारकों (Loss Assessor) की नियुक्ति :—** योजना क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत विभिन्न क्षति जिनका विवरण बिन्दु क्रमांक-13 एवं 17 में दिया गया है, हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले क्षति निर्धारकों की नियुक्ति अनिवार्य रूप से की जायेगी तथा इसकी सूचना राज्य शासन को दी जायेगी.

19. **बैंक कमीशन एवं शुल्क :—** क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा सभी बैंकों को ऋणी एवं अऋणी कृषकों का बीमा करने के लिए योजनांतर्गत निर्धारित दर पर कृषकों से प्राप्त प्रीमियम का 4 प्रतिशत खरीफ मौसम समाप्ति के पश्चात् प्रदान किया जावेगा.

20. बीमा कंपनी द्वारा बैंकों से प्राप्त सभी घोषणा पत्र की पावती संबंधित बैंक शाखाओं को उपलब्ध कराई जाएगी. बैंकों द्वारा किसी भी त्रुटि/अंतर/विसंगति से बीमा कंपनी को तत्काल अवगत कराया जाएगा. बैंक स्तर से निर्धारित बीमा आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक कृषक के खाते से प्रीमियम कटौती कर ली गई है किन्तु बीमा कंपनी को प्रेषित घोषणा पत्र या प्रपत्रों में त्रुटि के कारण बैंकों से स्पष्ट जानकारी अप्राप्त है, ऐसी स्थिति में वित्तीय संस्थाओं से कृषकों के घोषणा पत्र बीमा कंपनी द्वारा अधिकतम 25 अगस्त तक स्वीकार किये जायेंगे.

21. भारत सरकार द्वारा योजना क्रियान्वयन के जारी दिशा-निर्देश, इनमें विभिन्न कार्यों हेतु अंकित समय-सीमा, कार्य की पद्धति, ऑनलाईन अपलोड की जाने वाली जानकारियों को अपलोड किये जाने का दायित्व क्रियान्वयन बीमा कंपनी, वित्तीय संस्थाएं एवं संचालनालय कृषि का होगा तथा इस हेतु पृथक से आदेश जारी नहीं किये जायेंगे.

22. योजनान्तर्गत गठित जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा इस योजना के संचालन की प्रति माह समीक्षा कर प्रगति प्रतिवेदन संचालक कृषि को उपलब्ध कराया जायेगा.

23. क्रियान्वयक अभिकरण द्वारा राज्यांश राशि की मांग का पूर्ण परीक्षण किया जावेगा एवं राज्यांश की मांग के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जायेगा कि प्रस्तुत की जा रही मांग संबंधित मौसम में अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के लिए निर्धारित प्रीमियम दर पर प्रस्तुत की जा रही है. बीमा कंपनी से प्राप्त प्रस्ताव को संचालनालय कृषि स्तर पर विस्तृत परीक्षण उपरांत राज्यांश राशि के भुगतान हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाएगा.

24. अधिसूचित फसलों हेतु अधिसूचित बीमा इकाई में योजनांतर्गत फसल क्षति आंकलन के लिए आयुक्त भू-अभिलेख, (नोडल कार्यालय, फसल कटाई प्रयोग) द्वारा शत्-प्रतिशत फसल कटाई प्रयोग का आयोजन मोबाईल एप (CCE Agri App) के माध्यम से सुनिश्चित की जावेगी.

25. भारत सरकार स्तर से क्रियान्वयन अभिकरण को फसल बीमा योजनाओं में कृषकों की फसलों को कवरेज प्रदान करते हुए De-Empanelled किया जाता है अथवा फसल बीमा योजनाओं के प्रावधानों में संशोधन किये जाते है तो तदनुसार क्रियान्वयन अभिकरण के निर्धारित दायित्व एवं अधिसूचना को संशोधित/निरस्त किया जा सकता है.

26. **यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम (UPIS) :—** यूनिफाईड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम (UPIS) के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देश अनुसार पायलट आधार पर राजनांदगांव एवं बस्तर जिले का चयन किया गया है. इन जिलों में योजना का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में चयनित बीमा कंपनी ईफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा.

(UPIS) अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का चयन अनिवार्य रूप से किया जाना है तथा शेष प्रयोजनों में से कम से कम किन्हीं दो प्रयोजनों का चयन किसान द्वारा किया जाना है. शेष प्रयोजनों में से 2 प्रयोजन का चयन न करने पर कृषक को घोषणा-पत्र द्वारा यह सूचित करना होगा कि उसके द्वारा पूर्व से किसी अन्य बीमा एजेंसी द्वारा यह लाभ लिया जा रहा है. योजना अंतर्गत फसल बीमा के अलावा शेष सभी प्रयोजनों में कवरेज एक साल के लिये माना जावेगा.

(UPIS) अंतर्गत सम्मिलित प्रयोजनों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	प्रयोजन	बीमित राशि (रु.)	प्रीमियम राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(अ) भवन (आगजनी तथा संबंधित जोखिम)	50,000	रु. 40/- (सेवाकर अतिरिक्त)
	(ब) वस्तु बीमा	20,000	रु. 20/- (सेवाकर अतिरिक्त)
2.	व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा	2,00,000	रु. 12/- प्रति व्यक्ति
3.	कृषि पंप सेट बीमा (10 हार्स पॉवर तक)	25,000	रु. 438/- (सेवाकर अतिरिक्त)

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	कृषि ट्रैक्टर बीमा		ट्रैक्टर के बीमित एवं प्रीमियम राशि का निर्धारण IRDAI द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर ट्रेक्टर की उम्र एवं इसके साथ ट्राली होने अथवा नहीं होने को ध्यान में रखते हुए किया जावेगा.
5.	विद्यार्थी सुरक्षा बीमा		
	(अ) दुर्घटना से मृत्यु	50,000	
	(ब) पूर्ण दिव्यांगता	50,000	
	(स) एक आंख एवं एक कान क्षतिग्रस्त होने पर	25,000	रु. 75/- प्रति विद्यार्थी (सेवाकर अतिरिक्त)
	(द) दुर्घटना द्वारा अस्पताल में भर्ती होने पर	5,000	
6.	जीवन बीमा	2,00,000	रु. 330/- प्रति व्यक्ति

27. इस अधिसूचना में जिन नियमों का उल्लेख नहीं है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना/यूनिफाईड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम (UPIS) की मार्गदर्शिका में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सभी के लिए बंधनकारी होगा तथा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश एवं इसमें उल्लेखित सर्वोच्च संस्थाओं का निर्णय सर्वमान्य होगा.

यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2017 से प्रभावी मानी जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2017

क्रमांक एफ 4-72/2007/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-03-2014 को अधिक्रमित करते हुए, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 की धारा 2 (7) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दर्शाये गये क्षेत्रों के लिए सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने हेतु प्राधिकृत करता है :—

क्र.	प्राधिकृत अधिकारी	क्षेत्र (राजस्व जिला)
1.	उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, रायपुर मुख्यालय	जिला-रायपुर, भाटापारा-बलौदाबाजार
2.	उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, वृत्त-नया रायपुर	जिला-रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी
3.	उपायुक्त,छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, वृत्त-दुर्ग	जिला-दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम (कवर्धा), बालोद, राजनांदगांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, सुकमा एवं कोण्डागांव.
4.	उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, वृत्त-बिलासपुर	जिला-बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली एवं जशपुर.

No. F 4-72/2017/32.—The State Government authorizes in exercise of powers conferred vide Section 2(7) of Chhattisgarh Grih Nirman Mandal Act. 1972 and in supercession of the notification dated 20-03-2014, to discharge duties as Competent Authority for the Jurisdication specified as under :—

No.	Authorized Officer	Jurisdiction (Revenue Districts)
1.	Dy. Housing Commissioner, circle-Raipur headquarters.	Districts-Raipur, Bhatapara-balodabazar
2.	Dy. Housing Commissioner, circle-Naya Raipur	Districts-Raipur, Gariyaband, Mahasamund, Dhamtari.
3.	Dy. Housing Commissioner, circle-Durg	Districts-Durg, Bemetara, Kabirdham (Kawardha), Balod, Rajnandgaon. Bastar, Dantewada, Bijapur, Narayanpur, Kanker, Sukma, Kondagaon.
4.	Dy. Housing Commissioner, circle-Bilaspur	Districts-Bilaspur, Janjgeer-Champa, Raigarh, Korba, Sarguja, Koria, Surjpur, Balrampur, Mungeli, Jashpur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2017

क्रमांक-एफ 7-07/2017/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए बड़े कापसी निवेश क्षेत्र जिला उत्तर बस्तर कांकेर का गठन करता है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित् की गई है :—

अनुसूची

बड़े कापसी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम विश्रामपुर आलोर, प्रेमनगर एवं बापूनगर ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व : ग्राम बापूनगर, बड़े कापसी एवं देवीपुर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम देवीपुर, डोड़े एवं हरनगढ़ ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम हरनगढ़, छोटे कापसी, प्रेमनगर एवं विश्रामपुर ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2017

क्रमांक-एफ 7-12/2017/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए भंवरपुर निवेश क्षेत्र जिला महासमुंद का गठन करता है, जिसकी

सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित् की गई है :—

अनुसूची

भंवरपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम केलवारडबरी, जमदरहा, जमनीडीह, बम्हनीडीह, खोगसा एवं बनसुलिडीह ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व : ग्राम बनसुलिडीह, सागरपाली, बीजराभांठा, बिछिया, मेढ़ापाली, कोलियारीडीह, उमरिया एवं खुसरूपाली ग्रामों की पूर्वी सीमा तक

दक्षिण में : ग्राम खुसरूपाली, कुम्हारी, कर्राभौना, धनापाली, परसकोल, पलसापाली, कांदाडोंगरी एवं चंदखुरी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम चंदखुरी, धामनघटकुरी, रूपापाली, चपिया, चिपरीकोना, पुरूषोत्तमपुर, भालूकोना एवं केलवारडबरी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2017

क्रमांक-एफ 7-39/2014/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक03-09-2014 द्वारा गठित तुमगांव निवेश क्षेत्र में अनुसूची-एक में दिये गये ग्राम आमाझोला को अपवर्जित करती है, अनुसूची-दो में उल्लेखित पुनर्गठित तुमगांव निवेश क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित की जाती है :—

अनुसूची-एक

तुमगांव निवेश क्षेत्र में अपवर्जित ग्राम

ग्राम— आमाझोला.

अनुसूची-दो

तुमगांव निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमाएं

उत्तर में : ग्राम भोरिंग, बेन्द्रीडिह एवं कौआझर ग्राम की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम कौआझर, तुमगांव, बनसिवनी, सोरीद एवं चोरभट्ठी ग्राम की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम चोरभट्ठी, नवापारा एवं परसदा ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम परसदा, कौंदकेरा, गोपालपुर, अमावश एवं भोरिंग ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 17 मई 2017

क्रमांक-एफ 7-19/2012/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24-4-2012 द्वारा गठित पोड़ी-उपरोड़ा निवेश क्षेत्र जिला कोरबा में अनुसूची-एक में दिये गये ग्रामों को अपवर्जित करती है, अनुसूची-दो में उल्लेखित

ग्रामों को शामिल करते हुए, पुर्नगठित पोड़ी-उपरोड़ा निवेष क्षेत्र की सीमाएँ अनुसूची-तीन निर्धारित की जाती है :—

अनुसूची-एक

पोड़ी-उपरोड़ा निवेश क्षेत्र में अपवर्जित ग्राम

ग्राम :— कोनाकोना, लेपरा, गुरसिया, एतमा, नवापारा, दादर, बरपाली (2) लालपुर एवं मंगलपहाड़.

अनुसूची-दो

पोड़ी-उपरोड़ा निवेश क्षेत्र में शामिल ग्राम

ग्राम :— पोड़ी-उपरोड़ा.

अनुसूची-तीन

पोड़ी-उपरोड़ा निवेश क्षेत्र की पुर्नगठित सीमाएं

उत्तर में : ग्राम धौराभाठा, पोड़ी एवं बांगो ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम बांगो, उपरोड़ा, गाड़ाघाट, पाथा, एवं कोड़ी ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम कोड़ा, गुडरूमुड़ा एवं तानाखार ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में: ग्राम तानाखार, बरपाली, पोड़ी एवं धौराभाठा ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2017

क्रमांक एफ 1-27/2015/स्था/चार.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वर्ष-2015 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर वित्त विभाग में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (लेखाधिकारी) के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, दो वर्ष की परिवीक्षा पर छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (लेखाधिकारी) के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रुपये 15600-39100 ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में अनन्तिम (Provisional) रूप से कंडिका 2.1 से 2.13 में उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य लेखा सेवा लेखाधिकारी का मुख्य सूची का सरल क्र.	नाम पिता/पति का नाम एवं स्थायी पता	चयन का वर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1	कु. अमिता गुप्ता पिता-श्री जगन्नाथ गुप्ता पता-राजकमल भवन, चन्द्रा चौक, हेमूनगर, बिलासपुर छत्तीसगढ़.	अनारक्षित
2.	2	सुश्री श्रुति गोयल पिता-श्री सज्जन गोयल पता-जवाहर मार्केट, महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड, गली नंबर-31, अंबिकापुर, सरगुजा (छ.ग.).	अनारक्षित

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	3	सुश्री प्रतिभा चंदेल पिता-श्री श्याम चंदेल पता-मार्केटिंग सोसायटी के पीछे, वार्ड क्रमांक-05, लोरमी, जिला-मुंगेली (छ.ग.).	अनारक्षित
4.	4	श्री निखिल कुमार अग्रवाल पिता-श्री कृष्णचंद्र अग्रवाल पता-मार्केट रोड छुरी, तहसील एवं थाना-कटघोरा, पोस्ट-जमनीपाली, जिला-कोरबा (छ.ग.).	अनारक्षित
5.	5	सुश्री शिखा जैन पिता-श्री प्रकाश चंद्र जैन पता-जैन जनरल स्टोर, जेल रोड, पोस्ट-बैकुंठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.).	अनारक्षित
6.	6	सुश्री ऋतु कौशिक पिता-श्री दुर्गेश कौशिक पता-ग्राम-नगपुरा, पोस्ट-सिरगिट्टी, तहसील-बिल्हा जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	अनारक्षित
7.	7	श्री जय कुमार सिंह पिता-श्री बालेश्वर सिंह पता-ग्राम-करही, पोस्ट-कीकाराडा, तहसील-जैजैपुर जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.).	अनारक्षित
8.	9	श्री उत्कर्ष रजक पिता-श्री उत्तम रजक पता-ग्राम-रनभांठा, ब्लाक-पुसौर, पोस्ट-बुनगा जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	अनारक्षित
9.	10	सुश्री सुष्मिता भारतीय कश्यप पिता-श्री गोरेलाल कश्यप पता-मकान नंबर-170, तालाबपारा, क्रमांक-3, ग्राम-पांड, पोस्ट-सैदा, तहसील-तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	अन्य पिछड़ा वर्ग
10.	11	श्री सर्वेश यादव पिता-श्री शंकर लाल यादव पता-ग्राम+पोस्ट-पुछेली, व्हाया-बम्हनीनडीह, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.).	अन्य पिछड़ा वर्ग
11.	12	श्री धर्मेन्द्र पटेल, पिता-बुन्दराम पटेल, पता-ग्राम-मड़वाडूमर, पोस्ट-मिलूपारा, थाना-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	अन्य पिछड़ा वर्ग
12.	13	कु. प्रीति निषाद पिता-श्री दीनदयाल निषाद पता-सोनार पारा, रतनपुर, पोस्ट-रतनपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	अन्य पिछड़ा वर्ग
13.	14	श्री कौशल प्रसाद तेन्दुलकर पिता-स्व. श्री उद्याला राम तेन्दुलकर पता-ग्राम पंचायत-चिस्दा, पोस्ट-पेण्ड्री तहसील-जैजैपुर, जिला- जांजगीर-चांपा (छ.ग.).	अनुसूचित जाति
14.	16	सुश्री मधुरिमा बंजारे, पिता-स्व. श्री भुरवा प्रसाद बंजारे पता-ग्राम-लाखागढ़, पोस्ट-पिथौरा, जिला-महासमुंद (छ.ग.)	अनुसूचित जाति

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	17	श्री राजीव कुमार दुबे, पिता-श्री बेनीमाधव दुबे पता-द्वारा-श्री बेनीमाधव दुबे, ग्राम एवं पोस्ट-कोरर, तहसील-भानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर (छ.ग.).	अनारक्षित, विकलांग
16.	18	श्री प्रवीण चंद्र भगत, पिता-स्व. श्री रोहन राम भगत, पता-6/55, रामपुर रोड, इंदिरानगर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	अनुसूचित जनजाति
17.	19	श्री नत्थू प्रसाद सिदार, पिता-श्री छोटेलाल सिदार, पता-ग्राम-चिखली, पोस्ट-चारपारा, तहसील-मालखरौदा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.).	अनुसूचित जनजाति
18.	21	सुश्री पूजा रानी सोरी, पिता-श्री आर. एस. सोरी, पता-फ्लैट नंबर-104, वुड आई लैण्ड, अमलेश्वर, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	अनुसूचित जनजाति
19.	22	सुश्री सब्रीना सिंह, पिता-श्री सोसन कुमार सिंह पता-एमआईजी-1/839, हाऊसिंग बोर्ड, इंडस्ट्रियल स्टेट, भिलाई, थाना-जामुल, जिला-दुर्ग.	अनुसूचित जनजाति
20.	23	श्री विवेक कुमार सिंह, पिता-श्री एस. एन. सिंह, पता-एचआईजी-1, छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, खमतराई, जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	अनुसूचित जनजाति
21.	24	श्री घनश्याम ठाकुर, पिता-श्री हेमन्त कुमार ठाकुर पता-ग्राम व पोस्ट-गब्दी, थाना-अर्जुन्दा, तहसील-गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ.ग.).	अनुसूचित जनजाति
22.	25	श्री राहुल कुमार उयके, पिता-श्री रामप्रसाद उयके, पता-ग्राम-कन्हारगांव, पोस्ट-भानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर (छ.ग.).	अनुसूचित जनजाति

2. 2.1 यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है.

2.2 (अ) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उसकी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर इस विभाग को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरान्त उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना इस विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी.

(ब) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गए सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध करायेगा.

(स) विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी के संबंध में उनके विकलांगता प्रमाण-पत्र का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाकर प्रस्तुत किया जाए.

2.3 परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में संचालनालय द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा भाग-1 एवं भाग-2 निर्धारित अवधि में उत्तीर्ण करना होगा ताकि परिवीक्षाधीन अवधि समाप्ति के पश्चात् पदांकन संबंधी आगामी कार्यवाही संचालित की जावेगी.

2.4 अभ्यर्थियों के निर्धारित मापदण्ड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी कराया जायेगा. पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उनका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जायेगा तो, उसकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी.

2.5 शासकीय सेवा के दौरान अधिकारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961, छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (राजपत्रित) नियम, 2013 से शासित होंगे.

2.6 उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. अत: अभ्यर्थीगण राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा कार्य की गयी अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

2.7 उपरोक्त अभ्यर्थियों को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर अधिकारी के समक्ष (स्थानीय) निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गयी कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

2.8 जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरान्त ही संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा.

2.9 चयनित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बांड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गयी राशि की वसूली की जाएगी जिसमें वेतन भत्ते एवं यात्रा देयक भी शामिल होगा.

2.10 चयनित आवेदकों की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गयी चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी.

2.11 यह नियुक्ति पूर्णत: अनंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी. इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा.

2.12 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

2.13 उपरोक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा.

नया रायपुर, दिनांक 15 मई 2017

क्रमांक एफ 1-1/2011/स्था/चार.—संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन का ज्ञाप क्रमांक/राज.स्था.अन्य 22/9218, दिनांक 26-3-2016 राज्य वित्त सेवा अधिकारियों की अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्ति आदेश, कैलेण्डर वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग के निम्नांकित अधिकारियों द्वारा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप उन्हें उनके नाम के समक्ष कॉलम नं. 5 में दर्शित तिथि अनुसार सेवानिवृत्त होंगे :—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	कार्यालय का नाम	जन्मतिथि	अर्द्धवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्रीमती एस. बी. जे. क्लाडियस, अपर संचालक.	लोक शिक्षण संचालनालय, नया रायपुर.	16-11-1956	30-11-2018

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	श्रीमती तृप्ति शर्मा, अपर संचालक	संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन नया रायपुर.	15-05-1956	31-05-2018
3.	श्री श्रवण कुमार सारस्वत, अपर संचालक.	विकास आयुक्त रायपुर, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.	08-07-1956	31-07-2018
4.	श्री तिरूपतिराव पटनायक, सहायक संचालक.	राज्यपाल सचिवालय, छ.ग., रायपुर	01-05-1956	30-04-2018
5.	श्री अनिसुल हक युसूफी, सहायक संचालक.	सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा) मंत्रालय, नया रायपुर.	08-12-1956	31-12-2018
6.	श्री हरिशचन्द्र शर्मा, सहायक संचालक	पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) वि.वि. बिलासपुर.	01-02-1956	31-01-2018
7.	श्री बी. के. यादव, सहायक संचालक	कार्यालय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर	20-06-1956	30-06-2018

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 15 मई 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	बरमकेला	पठियापाली प.ह.नं. 09	2.091	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	पठियापाली जलाशय योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 मई 2017

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ–82/2016–17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप–धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	बरमकेला	झाबड़ प.ह.नं. 09	0.323	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	पठियापाली जलाशय योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु भू–अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 मई 2017

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ–82/2016–17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप–धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	बरमकेला	डभरा प.ह.नं. 08	0.547	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	पठियापाली जलाशय योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु भू–अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 मई 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	बरमकेला	मारोदरहा प.ह.नं. 07	0.483	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	बैगामुड़ा जलाशय योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 मई 2017

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	बरमकेला	डंड़ाईडीह प.ह.नं. 08	0.557	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	बैगामुड़ा जलाशय योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी. कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 12 जून 2017

क्रमांक 03/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-देवलसुर्रा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.242 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
51/2क	0.004
51/4क	0.003
70/4क	0.007
89/1क/1	0.051
104/1ख	0.074
140/2ख	0.062
140/2ग	0.021
140/2घ	0.063
141/3	0.061
161/1	0.001
222/2	0.065
246/2	0.030
249/1क	0.134
277/2	0.809
278/4	0.057
282/3क	0.279
285/1	0.254
321/2क	0.016
321/3क	0.202
362/3क	0.049
योग 20	2.242

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख), जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

दन्तेवाड़ा, दिनांक 23 फरवरी 2017

क्रमांक/155/अ.भू.अ./स.अ.भू.अ.-1/2017.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सौरभ कुमार, कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा एतद्द्वारा पटवारी के नवीन पदों के सृजन के परिणाम स्वरूप तहसील-दंतेवाड़ा के पटवारी हल्कों का निम्न सूची में दर्शाए अनुसार पुनर्गठन करता हूं :—

क्रमांक	तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल	पटवारी हल्का मुख्यालय एवं नंबर	आश्रित ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	पुरनतरई-1	पुरनतरई भोगाम रेवनार	भोगाम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा		कवंलनार	कंवलनार
				केशापुर	केशापुर
				मिडकुलनार	
			तुड़पारास-2	तुड़पारास	तुड़पारास
				डेगलरास	
				कुपेर	मंगनार
				मंगनार	
			दन्तेवाड़ा-3	दन्तेवाड़ा	न.पा.प.
				पातररास	
			आंवराभाठा-14	आंवराभाठा	न.पा.प.
				कतियाररास	
			चितालंका-15	चितालंका	चितालंका
			भैरमबंद-4	टेकनार	टेकनार
				भैरमबंद	बालपेट
				बालपेट	
			कुम्हाररास-11	कुम्हाररास	कुम्हाररास
				करंजेनार	
				मसेनार	मसेनार
			कामालूर-12	कामालूर	कामालूर
				कुन्देली	
				बासनपुर	
				गोदपाल	पण्डेवार
				पण्डेवार	
				झिरका	
			गमावाड़ा-13	गमावाडा	गमावाडा
				धुरली	धुरली
योग	**1**	**1**	**09**	**29**	**14, 1 न.पा.प.**

क्रमांक	तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल	पटवारी हल्का मुख्यालय	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	दंतेवाड़ा	पोन्दुम	पोन्दुम-5	पोन्दुम	पोन्दुम
				फूलनार	फूलनार
				मुस्केल	
			मेण्डोली-6	मेण्डोली	जारम
				जारम	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	दंतेवाड़ा	पोन्दुम		कांवडगांव डूमाम दाबपाल	कांवडगांव
			मेटापाल-7	मेटापाल	मेटापाल
			गदापाल-8	गदापाल तोयलंका	गदापाल तोयलंका
			बडे गोडरे-9	बडे गोडरे छोटे गोडरे नेटापुर चंदेनार	नेटापुर चंदेनार
			बालूद-10	बालूद चितालूर मटेनार मुरकी	बालूद चितालूर मटेनार
	योग रा.नि.मं.	**1**	**06**	**19**	**12**
	योग तहसील	**02**	**15**	**48**	**26, 1 न.पा.प.**

दन्तेवाड़ा, दिनांक 23 फरवरी 2017

क्रमांक/156/अ.भू.अ./स.अ.भू.अ.-1/2017.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सौरभ कुमार, कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा एतद्द्वारा पटवारी के नवीन पदों के सृजन के परिणाम स्वरूप तहसील-गीदम के पटवारी हल्कों का निम्न सूची में दर्शाए अनुसार पुनर्गठन करता हूं :—

क्रमांक	तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल	पटवारी हल्का मुख्यालय/ नंबर	आश्रित ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	गीदम	बारसूर	कऊरगांव-1	कऊरगांव तुमीरगुण्डा चेरपाल छोटेकरका पदमेटा	कऊरगांव तुमीरगुण्डा चेरपाल
			कोरलापाल-2	कोरलापाल नागफनी पाहुरनार बड़ेकरका मुचनार मल्लुमुण्डा	कोरलापाल पाहुरनार मुचनार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	गीदम	बारसूर	छिन्दनार-3	छिन्दनार	छिन्दनार
				सालनार	मुस्तलनार
				मुस्तलनार	
			मोफलनार-4	मोफलनार	मोफलनार
				गुमलनार	गुमलनार
				नेलगोड़ा	
				तालरापाल	गुटोली
				गुटोली	
			बड़ेतमनार-5	बड़ेतुमनार	बड़ेतुमनार
				छोटे तुमनार	छोटे तुमनार
				कांदाकरका	
			बांगापाल-6	बांगापाल	बांगापाल
				मुहण्डेर	
			फरसपाल उर्फ बोदली-19	फरसपाल उर्फ बोदली	फरसपाल उर्फ बोदली
				फुण्डरी	
				फरसमंदूर	
			कासोली-10	कासोली	कासोली
				जपोड़ी	
				बुदपदर	
				हीरानार	हीरानार
			उपेट-12	उपेट	उपेट
				पुरनतरई	
				हिड़पाल	हिड़पाल
				भालूनाला	
				बालेंगपाल	
				नोरली	
			बारसूर-13	बारसूर	बारसूर न.पं.
			हितामेटा-14	हितामेटा	हितामेटा
				भटपाल	भटपाल
				उदेनार	
				नेउरनार	
				रेका	कोरकोटी
				कोरकोटी	
	योग		**11**	**44**	**22, 1 न.पं.**
	गीदम	गीदम	फरसपाल-7	फरसपाल	फरसपाल
				आलनार	आलनार
				मासोड़ी	
				कुण्डेनार	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	गीदम	गीदम	बिजांम-8	बिजांम कुतुलनार झोड़ियाबाड़म सियानार बड़े सुरोखी समलूर	बिजांम झोड़ियाबाड़म बड़े सुरोखी समलूर
			कारली-9	कारली बड़ेकारली	कारली बड़ेकारली
			घोटपाल-11	घोटपाल रोजें जोड़ातरई हारला बट्टीनामा	घोटपाल रोजें जोड़ातरई
			नागुल-15	नागुल मड़से हिरोली कटुलनार माड़पाल	नागुल मड़से कटुलनार
			बड़े पनेड़ा-16	बड़े पनेड़ा	बड़े पनेड़ा
			गीदम-17	गीदम	गीदम न.पं.
			गुमड़ा-18	गुमड़ा जौगा	गुमड़ा जौगा
			हारम-20	हारम हाउरनार	हारम हाउरनार
	योग	**1**	**9**	**28**	**19, 1 न.पं.**
	तहसील योग	**2**	**20**	**72**	**41, 2 न.पं.**

दन्तेवाड़ा, दिनांक 23 फरवरी 2017

क्रमांक/157/अ.भू.अ./स.अ.भू.अ.-1/2017.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सौरभ कुमार, कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा एतद्द्वारा पटवारी के नवीन पदों के सृजन के परिणाम स्वरूप तहसील-कुआकोण्डा के पटवारी हल्कों का निम्न सूची में दर्शाए अनुसार पुनर्गठन करता हूं :—

क्रमांक	तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल	पटवारी हल्का मुख्यालय/ नंबर	आश्रित ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कुआकोण्डा	कुआकोण्डा	गढ़मिरी-1	गढ़मिरी रेंगानार	गढ़मिरी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कुआकोण्डा	कुआकोण्डा	कुआकोण्डा–2	कुआकोण्डा	कुआकोण्डा
				हल्बारास	
				नकुलनार	नकुलनार
			मैलावाड़ा–3	गोंगपाल	गोंगपाल
				बड़े हड़मामुण्डा	
				मैलावाड़ा	मैलावाड़ा
				हितावर	हितावर
			सामगिरी–4	खुटेपाल	सामगिरी
				जिमेरं	
				सामगिरी	
			टिकनपाल–5	टिकनपाल	टिकनपाल
				माहरा हाउरनार	माहरा हाउरनार
				पेन्टा	
				दोरीरास	
				लेण्ड्रा	
			पालनार–6	पालनार	पालनार
				फूलपाड़	फूलपाड़
			अरबे–7	अरबे	नीलावाया
				नीलावाया	
				जबेली	जबेली
			बुरगुम–8	पुजारीपाल	बुरगुम
				बुरगुम	
				बर्रेम	रेवाली
				रेवाली	
	योग तहसील		**8**	**26**	**15**

दन्तेवाड़ा, दिनांक 23 फरवरी 2017

क्रमांक/158/अ.भू.अ./स.अ.भू.अ.–1/2017.—छ.ग. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सौरभ कुमार, कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा एतद्द्वारा पटवारी के नवीन पदों के सृजन के परिणाम स्वरूप तहसील–कटेकल्याण के पटवारी हल्कों का निम्न सूची में दर्शाए अनुसार पुनर्गठन करता हूं :—

क्रमांक	तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल	पटवारी हल्का मुख्यालय/ नंबर	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कटेकल्याण	कटेकल्याण	धनीकरका–1	धनीकरका	धनीकरका
				बुरदीकरका	
				दुवालीकरका	
				नड़ियापदर	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	कटेकल्याण	कटेकल्याण		सूरनार	सूरनार
			बड़ेलखापाल-2	बड़ेलखापाल	बड़ेलखापाल
			कटेकल्याण-3	कटेकल्याण	कटेकल्याण
				लखारास	
				गाटम	गाटम
				मथाड़ी	
				बेंगलूर	बेंगलूर
			परचेली-4	परचेली	परचेली
				नड़ेनार	
				चिकपाल	चिकपाल
				मुनगा	
				मारजूम	मारजूम
			जंगमपाल-5	जंगमपाल	जंगमपाल
				छोटे लखापाल	
				तोंगापाल	
				बड़ेगादम	बड़ेगादम
				छोटेगादम	
				प्रतापगिरी	
			गुड़से-6	गुड़से	गुड़से
			टेटम-12	तुमकपाल	तुमकपाल
				कोडरीपाल	
				नयानार	टेटम
				टेटम	
	योग	**1**	**7**	**27**	**14**
		बड़ेगुडरा	तेलम-7	तेलम	तेलम
				छोटेगुडरा	छोटेगुडरा
				जिहाकोड़ता	
				एटेपाल	
			बड़ेगुडरा-8	बड़ेगुडरा	बड़ेगुडरा
			मोखपाल-9	मोखपाल	मोखपाल
				छोटे हड़मा मुण्डा	माहराकरका
				माहराकरका	
			बड़ेबेड़मा-10	बड़ेबेड़मा	बड़ेबेड़मा
				किडरीरास	
				छोटेबेड़मा	कोरीरास
				कोरीरास	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	कटेकल्याण	बड़ेगुडरा	भूसारास-11	भूसारास एड़पाल डोडपाल दुधीरास	भूसारास एड़पाल
	योग	**1**	**5**	**16**	**9**
	योग तहसील	**2**	**12**	**43**	**23**

दन्तेवाड़ा, दिनांक 23 फरवरी 2017

क्रमांक/159/अ.भू.अ./स.अ.भू.अ.-1/2017.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सौरभ कुमार, कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा एतद्द्वारा पटवारी के नवीन पदों के सृजन के परिणाम स्वरूप तहसील-बड़ेबचेली के पटवारी हल्कों का निम्न सूची में दर्शाए अनुसार पुनर्गठन करता हूं :—

क्रमांक	तहसील	राजस्व निरीक्षक मण्डल	पटवारी हल्का मुख्यालय/ नंबर	आश्रित ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बड़ेबचेली	बड़ेबचेली	भान्सी-1	भान्सी पोरो कमेली झारालावा बड़े कमेली	भान्सी बड़े कमेली
			बड़े बचेली नगरीय-2	बड़े बचेली	बड़े बचेली न. पा.
			पीना बचेली-3	पाढापुर पीना बचेली बेनपाल नेरली बेहनार	पाढापुर नेरली
			मोलसनार-4	मोलसनार उदेला कुहचेपाल	मोलसनार
			गंजेनार-5	गंजेनार	गंजेनार
			दुगेली-6	दुगेली चोलनार उर्फ शिवनापदर	दुगेली
	योग	**1**	**6**	**16**	**7, 1 न.पा.पं.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	बड़ेबचेली	किरन्दुल	किरन्दुल-7	किरन्दुल कोड़ेनार	नगर पालिका किरन्दुल कोड़ेनार
			किरन्दुल-15	कड़मपाल मदाड़ी पेरपा	कड़मपाल मदाड़ी
			समलवार-8	चोलनार कलेपाल मड़कामी रास समलवार	कलेपाल समलवार
			हिरोली-9	पुरंगेल लावा हिरोली पीरनार	हिरोली
			गुमियापाल-10	बेंगपाल गुमियापाल बोड़ेपल्ली अलनार कुटरेम तनेली पेड़का	गुमियापाल कुटरेम
			समेली-11	समेली माडेन्दा	समेली
			पोटाली-12	पोटाली	पोटाली
			अरनपुर-13	अरनपुर अचेली मेण्डपाल	अरनपुर
			ककाड़ी-14	ककाड़ी नहाड़ी मुलेर	नहाड़ी
	योग	**1**	**9**	**29**	**12, 1 न.पा.पं.**
	योग तहसील	**2**	**15**	**45**	**19, 2 न.पा.पं.**

सौरभ कुमार,
कलेक्टर.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दंतेवाड़ा जिला द.ब. दंतेवाड़ा (छ.ग.)

दंतेवाड़ा, दिनांक 12 अप्रैल 2017

प्रारूप–घ

(नियम 6 देखें)

क्रमांक/235/अ.वि.अ./स.प्रा./भू–अर्जन/2017.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया हैं) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दंतेवाड़ा की अधिसूचना क्रमांक 1370/अ.अव.अ./स.प्रा./भू–अर्जन/2016 दंतेवाड़ा दिनांक 21–07–2016 द्वारा उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में औद्योगिक प्रयोजन हेतु अवशेषों को परिवहन हेतु भूमिगत पाईप बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी. एवं

उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21–10–2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड, ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है. एवं

उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

एवं एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार राज्य सरकार के स्थान पर मेसर्स एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड किरन्दुल में निहित होगा और सभी विल्लंगमों से मुक्त होगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्ट. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	बड़े बचेली	किरन्दुल/06	निजी भूमि	निजी
			65/2	0.543
			66/1	0.444
			98/2	0.098
			96	0.074
			98/3	0.123
			168/1	0.370
			99/1	0.271
			100	0.172
			104	0.148
			160	0.197
			264	0.123
			171	0.123
			172	0.296

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	बड़े बचेली	किरन्दुल/06	173	0.617
		योग	**14**	**3.599**
			शासकीय भूमि	शासकीय भूमि
			63	0.172
			64	0.074
			65/1	0.345
			93	0.123
			107	0.172
			111	0.123
			110	0.222
			112	0.148
			113	0.420
			146	0.098
		योग	**10**	**1.897**
		मदाड़ी/06	निजी भूमि	निजी भूमि
			2	0.168
			7	0.276
			8/1	0.237
		योग	**3**	**0.681**

दंतेवाड़ा, दिनांक 17 मई 2017

प्रारूप–घ

(नियम 6 देखें)

क्रमांक/337/अ.वि.अ./स.प्रा./भू–अर्जन/2017.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया हैं) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दंतेवाड़ा की अधिसूचना क्रमांक 1370/अ.अव.अ./स.प्रा./भू–अर्जन/2016 दंतेवाड़ा दिनांक 21–07–2016 द्वारा उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल/टेलिग्स अवशेषों को परिवहन हेतु भूमिगत पाईप बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी. एवं

उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21–10–2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड, ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया हैं. एवं

उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया हैं और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया हैं.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती हैं कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता हैं.

एवं एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार राज्य सरकार के स्थान पर मेसर्स एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड किरन्दुल में निहित होगा और सभी विल्लंगमों से मुक्त होगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम /प. ह. नं.		खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्ट. में)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	बड़े बचेली	किरन्दुल/06		निजी भूमि	निजी
				65/2	0.543
				66/1	0.444
				98/2	0.098
				96	0.074
				98/3	0.123
				168/1	0.370
				99/1	0.271
				100	0.172
				104	0.148
				160	0.197
				264	0.123
				171	0.123
				172	0.296
				173	0.617
			योग	**14**	**3.599**
				शासकीय भूमि	शासकीय भूमि
				63	0.172
				64	0.074
				65/1	0.345
				93	0.123
				107	0.172
				111	0.123
				110	0.222
				112	0.148
				113	0.420
				146	0.098
			योग	**10**	**1.897**
		मदाड़ी/06		निजी भूमि	निजी भूमि
				2	0.168
				7	0.276
				8/1	0.237
			योग	**3**	**0.681**

सुभाष राज,
सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय
अधिकारी (रा.).

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, महासमुन्द (छ.ग.)

महासमुन्द, दिनांक 8 मई 2017

क्रमांक/709/नग्रानि/LU-35/2017.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में बागबाहरा निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 66, महासमुन्द, दिनांक 16-01-2017 द्वारा किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट बागबाहरा निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तदानुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक् रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

बागबाहरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम कल्याणपुर, बागबाहरा खुर्द, लालपुर तथा भानपुर की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम नवागांव कला, बागबाहरा कला, बागबाहरा खुर्द तथा कल्याणपुर की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम हरनादादर, नवागांव खुर्द तथा नवागांव कला की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम भानपुर तथा हरनादादर की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, पुराना तहसील कार्यालय परिसर, मेन रोड, महासमुन्द (छ.ग.)

No./709/T&CP/LU-35/2017.—The existing land use map and register for the Bagbahara Planning Area Existing land use map and Register was published under Sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice no. 66 Mahasamund, date 16-01-2017.

Therefore a Notice is hereby given for general information of the public that the Existing land use map and register of Bagbahara Planning Area Existing land use map and Register so prepared and published are duly adopted by the Director, Town & Country Planning, under the Provision of sub-section (3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazette. Under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map and register have been duly prepared and adopted on date.

SCHEDULE

Limit of Bagbahara Planning Area

NORTH : Village Kalyanpur, Bagbahara Khurd, Lalpur & upto Northern Limit of Village-Bhanpur.
EAST : Village Navagaon Kalaa, Bagbahara Kalaa, Bagbahara Khurd & upto Eastern Limit of Village-Kalyanpur.
SOUTH : Village Harnadadar, Navagaon Khurd & upto Southern Limit of Village-Navagaon Kalaa.
WEST : Village Bhanpur & upto Western Limit of Village-Harnadadar.

The said adopted map and Register shall be available for inspections of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Inspection site : Office of the Assistant Director, Town & Country Planning Old Tahsil office campus, Main Road, Mahasamund (C.G.).

एस. आर. अजगरा,
प्र. सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 29 मार्च 2017

शुद्धि पत्र

क्रमांक 1102/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-राजपुर/2016.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस कार्यालय के समसंख्यक सूचना क्रमांक 1502/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-राजपुर/2016 अम्बिकापुर दिनांक 09-09-2016 एवं सूचना क्रमांक 1502/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-राजपुर/2016 अम्बिकापुर दिनांक 21-12-2016 द्वारा छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15 (1) के तहत राजपुर निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र प्रकाशन की सूचना के पैरा 3 में "आयुक्त सह-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश नया रायपुर" के स्थान पर "सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश अम्बिकापुर" पढ़ा जावे.

अम्बिकापुर, दिनांक 29 मार्च 2017

शुद्धि पत्र

क्रमांक 1107/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-लखनपुर/2016.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इस कार्यालय के समसंख्यक सूचना क्रमांक 1507/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-लखनपुर/2016 अम्बिकापुर दिनांक 09-09-2016 एवं सूचना क्रमांक 1507/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-लखनपुर/2016 अम्बिकापुर दिनांक 21-12-2016 द्वारा छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15 (1) के तहत जारी सूचना जो की छ.ग. राजपत्र में भाग-1, पृ.क्र. 2100 में दिनांक 25-11-2016 को मुद्रित हुई है, में "**पूर्व में : ग्राम रजपुरी (कला), भरतपुर, केवरा एवं कोसंगा ग्राम की पूर्वी सीमा तक**" के स्थान पर "**पूर्व में : ग्राम रजपुरी (कला), केवरा, केवरी एवं कोसंगा ग्राम की पूर्वी सीमा तक**", "**दक्षिण में : ग्राम कोसंगा, जूना लखनपुर, जूनाडिह, वंधा एवं कुंवरपुर ग्राम की दक्षिणी सीमा तक**" के स्थान पर "**दक्षिण में : ग्राम कोसंगा, बन्धा, कुंवरपुर एवं अंधला ग्राम की दक्षिणी सीमा तक**" तथा "**पश्चिम में : कुंवरपुर एवं अंधला ग्राम की पश्चिमी सीमा तक**" के स्थान पर "**पश्चिम में : ग्राम अंधला ग्राम की पश्चिमी सीमा तक" एवं सूचना के पैरा 3 में** "आयुक्त सह-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश नया रायपुर" के स्थान पर "सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश अम्बिकापुर" पढ़ा जावे.

अम्बिकापुर, दिनांक 29 मार्च 2017

क्रमांक 1195/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-प्रेमनगर/2017.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि प्रेमनगर निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है उसकी एक प्रति कार्यालय कलेक्टर जिला सूरजपुर, कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश अम्बिकापुर तथा नगर पंचायत प्रेमनगर में दिनांक 12-04-2017 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

प्रेमनगर निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

प्रेमनगर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम लक्ष्मणपुर, प्रेमनगर एवं नमना ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम नमना एवं चन्दननगर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम चन्दननगर, अभयपुर, रघुनाथपुर, प्रेमनगर एवं लक्ष्मणपुर ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम लक्ष्मणपुर की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त हो, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश अम्बिकापुर द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 1195/T&CP/Ambikapur/DP-Premnagar/2017.—Notice is hereby given that the existing land use map for Premnagar planning area has been prepared under sub-section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection from date 12-04-2017 during office hours in the offices of the Collector District Surajpur, Office of the Assistant Director Town and Country Planning Ambikapur and Nagar Panchayat Premnagar District Surajpur.

The limit of Premnagar Planning Area is defined in the schedule given below.

SCHEDULE

Limits of Premnagar Planning Area

NORTH	:	Village Laxmanpur, Premnagar and uto the Northern limti of Namana.
EAST	:	Village Namana and upto the Eastern limit of Chandannagar.
SOUTH	:	Village Chandannagar, Abhaypur, Raghunathpur, Premnagar and upto the Southern limit of Laxmanpur.
WEST	:	Upto the Western limit of Laxmanpur.

"If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared, it should be sent in writing to the Assistant Director, Town and Country Planning Ambikapur, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be considered by the Assistant Director Nagar Tatha Gram Nivesh Ambikapur Chhattisgarh.

सूर्यभान सिंह ठाकुर,
सहायक संचालक.

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
शंकर नगर रोड, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 26 मई 2017

क्रमांक/451/03/2017-18/स्था.—छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-24/2011/1/एक नया रायपुर, दिनांक 15-05-2017 के तारतम्य में श्री सुकृत लाल साव (भा.व.सेवा.-1998) द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद पर दिनांक 22-05-2017 को पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है.

हस्ता./-

सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 17th May 2017

No. 841/Confdl./2017/II-3-1/2017.—The Following Civil Judge Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below is, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No.	Name & presently posted as	From	To	Revenue District	Posted as
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Shri Sameer Kujur, V Civil Judge Class-II.	Durg	Pandariya	Kabirdham (Kawardha)	Civil Judge Class-II

By order of of the High Court,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.